पटना विश्वविद्यालय, पटना

माननीय कुलपति महोदय तथा अनुषद् के सम्मानित सदस्यगण,

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पटना विश्वविद्यालय में वर्ष 2018-19 में हुए वास्तविक आय-व्यय 2019-20 का पुनरीक्षित आय-व्ययक प्राक्कलन तथा 2020-21 के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

पहले की तरह ही प्रस्तुत आय-व्ययक दो खण्डों में विभाजित है। खण्ड-I में राजस्व प्राप्ति एवं व्यय (Revenue Receipts & Payments) से सम्बन्धित प्राक्कलन हैं। वस्तुतः यही विश्वविद्यालय का सामान्य कोष है। खण्ड-II में पूँजी एवं विकास परियोजनाओं के आय-व्यय (Capital Receipts & Payments) दिखाये गए हैं।

खण्ड-I आवर्त्तक/राजस्व प्राप्ति एवं व्यय (Recurring/Revenue Receipts & Payments) : वर्ष 2020-21 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन (Proposed Estimates of Receipts & Payments) को चार उप-शीर्षकों में यथा (1) उच्च शिक्षा विभाग (2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (3) दूर-शिक्षा निदेशालय तथा (4) स्व-वित्तपोषित/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विभाजित कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

खण्ड-I आवर्त्तक/राजस्व प्राप्ति एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण
(Summary of the Recurring / Revenue Receipts & Payments)

क्र सं	विवरण	वास्तविक आय–व्यय 2018–19 (करोड़ रू० में)	पुनरीक्षित आय–व्ययक 2019–20 (करोड़ रू० में)	प्रस्तावित आय–व्ययक 2020–21 (करोड़ रू० में)
(अ)	1. शिक्षा विभाग– वेतन, भत्ता, सेवान्तक लाभ, आकस्मिक व्यय सहित	208.48	427.40	550.17
	2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी–बी.सी .ई. वेतनान्तर एवं सेवान्तक लाभ पर व्यय	3.22	4.42	4.72
	3. दूर शिक्षा निदेशालय–सम्पूर्ण व्यय	3.04	3.31	3.49
	4. व्यावसायिक पाठ्यक्रम–सम्पूर्ण व्यय	7.80	10.51	10.52
	कुल – व्यय (अ)	222.54	445.64	568.90
(ब)	(–) घटाव कुल आय *(अनुदान रहित)–(ब)	24.04	33.45	29.66
(स)	कुल शुद्ध घाटे का बजट (Net Deficit budget) (ब–अ)	(–) 198.50	(–) 412.19	(–) 539.24

(क) वास्तविक आय–व्यय (Actual of Receipts & Payments) 2018-19 :

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 208.48 करोड़ वास्तविक व्यय के विरूद्ध उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा कुल रू० 203.04 करोड़ अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया था। इस अनुदान पर खर्च आगे के वित्तीय वर्ष में हुआ है और उपयोगिता प्रमाण–पत्र तदनुसार सरकार को भेजा गया है।

(ख) पुनरीक्षित आय–व्ययक (Revised Budget Estimates) 2019-20 :

विश्वविद्यालय ने बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अभिषद् द्वारा पारित रू० 365.94 करोड़ के बजट में से समस्त आन्तरिक श्रोतों से प्राप्त 32.42 .करोड़ रूपये घटाने के पश्चात् 333.52 करोड़ रूपये का घाटे का बजट प्रस्तुत किया था।

उपर्युक्त के विरूद्ध वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित बजट में कुल रू० 445.64 करोड़ के प्रस्तावित व्यय से विश्वविद्यालय के समस्त आन्तरिक श्रोतों से प्राप्त रू० 33.45 करोड़ की आय घटाने के पश्चात रू० 412.19 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के उपर्युक्त पुनरीक्षित प्रस्तावित बजट पर मार्च, 2019 से अगस्त, 2019 तक वेतनादि/पेंशनादि मदों में कुल रू० 110.27 करोड़ का अनुदान विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है।

Schedule (E) Page (xi)

उपर्यूक्त अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक के वेतनादि/पेंशनादि एवं सेवान्तक लाभ के मदों में सरकार से प्राप्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा जा चुका है।

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वर्ष 1996 एवं वर्ष 2006 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतनान्तर एवं सेवांतक लाभ की अंतर राशि ससमय उपलब्ध नही होने के कारण भुगतान नही हो सका था। जिसके कारण थोड़ी न्यायवाद की संख्या बढ़ गई थी । जिसे राज्य सरकार द्वारा पुनः अनुदान दिया गया । शेष कुछ कर्मचारी बचे हैं, जिसके भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है।

(ग) पूर्ववर्ती बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,बिहार सरकार) :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा तत्कालीन बी.सी.ई. के सेवा निवृत कर्मियों के वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मॉगी

कुल राशि रु 3.54 करोड़ विमुक्ति कर दिया गया है। तदनुसार इस राशि के उपयोग के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में तत्कालीन बी॰ सी॰ इ॰ के सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन के भुगतान हेतु कुल रु 4.72 करोड़ घाटे का बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तावित है।

Page (i) B (i)

(घ) सृजित पद एवं कार्यरत बल (Sanctioned posts and Employees in position) :

शिक्षकों के स्वीकृत एवं सत्यापित कुल 888 एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक 2361 दिनांक 18.10.2019 के द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में प्रार्यावरण विज्ञान हेतु एक –एक सहायक प्रोफेसर का पद सृजित किया गया है। जिसे पटना विश्वविद्यालय के 10 महाविद्यालयों के अनुसार 10 पद अतिरिक्त आता है, यानि कुल 888+10=898 पद होते है। वर्ष 2019–20 में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या बहुत कम हो गई है। वर्ष 2019–20 में मात्र 316 शिक्षक कार्यरत है। तथा 145 अतिथि शिक्षकों की भी सहायता ली जा रही है। रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा रिक्ती माँगी गई है। इसी तरह पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल स्वीकृत 1436 पदों के विरूद्ध मात्र 669 शिक्षकेत्तर कर्मी ही कार्यरत है।

इसी प्रकार शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति Outsourcing द्वारा करने के लिए प्रस्तुत बजट में 6.60 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है। यह राशि मुख्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं कॉलेजों के लिए होगी ।

Page (i) A (iii)

उल्लेखनीय है कि संविदा पर Outsourcing के आधार पर शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में शिक्षा विभाग द्वारा 3.00 करोड़ रूपये की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है जो अभी उपयोग में है ।

(ड) परिनियत अनुदान (Statutory Grant) :

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धरा 47(i) में स्पष्ट प्रवधान है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष परिनियत अनुदान बिहार सरकार के समेकित निधि से देगी। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक पाँच वर्ष पर उक्त राशि का समयानुकूल संशोधन कुलपति से विचार विमर्श के उपरांत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विकास के लिए भी समय–समय पर अतिरिक्ति राशि बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में विमुक्त की जाती है ।

इस पृष्ठ भूमि में ज्ञातव्य है कि वार्षिक परिनियत अनुदान 1.61 करोड़ 2005–06 से अभी तक अदेय है। समय समय पर विकास कार्य के लिए भी सहयोग राशि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई हैं। अगर केवल परिनियत अनुदान पर विचार करें तो 1.61 करोड़ की दर से पिछले पन्द्रह वर्षों 2020–21 के बजट में कुल 24.15 करोड़ रुपये राशि होती है जिसका प्रावधान किया गया है जो अप्राप्त है। विदित हो की राज्य सरकार द्वारा विद्युत विपत्र भुगतान, निगम कर आदि के भुगतान हेतु राशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई गई है और भुगतान किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं, पुस्तकालाओं आदि के आवर्त्तक व्यय हेतु भी 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा सहयोग राशि दी गई है।

वर्ष 2018–19 में विधुत मद हेतु राज्य सरकार द्वारा 6.50 करोड़ रुपये का बैंक ड्राफ्ट हस्तगत कराया गया है जिसका भुगतान साउथ

बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि० को किया जा चुका है। फिर भी विश्वविद्यालय पर विद्युत–बकाये के रूप में लगभग 3.74 करोड़ बकाया है। इसी तरह नगर निगम के कर इत्यादि पर 12.44 करोड़ रुपये बकाया था । शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 05 / बी 01–09 / 261 / 2018 दिनांक 14 / 2 / 2019 के द्वारा सम्पत्ती कर भुगतान हेतु DD के माध्यम से राशि रू 11,23,30,091 / –दी गई थी। जिसका भुगतान चेक संख्या 278262 दिनांक 29.3.2019 द्वारा किया गया था तथा संभावित राशि 2.44 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है । जिसकी भरपाई राज्य सरकार के सहयोग से अपेक्षित है ।

(च) प्रस्तावित आय-व्ययक (Proposed Estimates of Receipt & Payment) 2020-21:

यहाँ यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक प्राक्कलन में उच्च शिक्षा विभाग पर रु 550. 17 करोड़, दूर–शिक्षा निदेशालय पर रु 3.49 करोड़, स्ववित्तपोषित / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर रु 10.52 करोड़ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अधीन तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग पर रु 4.72 करोड़ अर्थात कुल रु 568.90 करोड़ के व्यय राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

Page (i) Gross A to D

वित्तीय वर्ष 2020–21 के उपरोक्त प्रस्तावित व्यय के विरुद्ध विश्वविद्यालय के सभी आन्तरिक श्रोतों से अनुमानित आय रूपये 29.66 करोड़ घटाने के पश्चात् कुल रूपये 539.24 करोड़ मात्र घाटे का बजट

(Deficit Budget) सदन के पटल पर माननीय अनुषद सदस्यों की अनुशंसा के लिये प्रस्तुत है ।

Page (ii) G (Total A to D)

तदोपरान्त, उपर्युक्त प्रस्तावित कुल घाटे की रकम में से उच्च शिक्षा पर रूपये 536.31 करोड़ के घाटे का बजट राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के समक्ष तथा रूपये 4.72 करोड़ घाटे का बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष मदवार अनुमोदन एवं अनुदान विमुक्ति हेतु भेजा जा सकेगा।

प्रस्तावित 2020–21 के बजट की कतिपय मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:–

(1) वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित बजट में बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, के पत्रांक 15/बी–1–11/2013 (उ० शि०)–2341 दिनांक 16.10.2019 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 876 दिनांक 18.9.2019 में दिये गये निर्देशों को अनुपालन किया गया है। ऐसा निर्देश था कि वर्ष 2019–20 के आधार पर वर्ष 2020–21 के वेतनादि, पेंशनादि पर जो कुल राशि आती है उस पर 2020–21 में 25% महँगाई भत्ता की गणना की जानी है ।

इसी निर्देश के अनुसार मूल वेतन एवं उस पर महँगाई भत्ता तथा मूल पेंशन और उस पर महँगाई राहत की गणना कर बजट में प्रावधान किया गया है । जुलाई 2019/जनवरी 2020के वेतन में सप्तम वेतनमान के पुनरीक्षण में दिए गए पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ोत्तरी की गई है।

(2) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये प्रस्तावित बजट के भीतर Schedule - D के अन्तर्गत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वर्ष

कमशः 1986, 1996, 2006 तथा 2016 से प्रभावी चतुर्थ, पंचम् षष्ठम् एवं सप्तम वेतन पुनरीक्षण में वेतनान्तर राशि, महँगाई भत्ता अंतर राशि, विज्ञापन बकाया विद्युत विपत्र, नगर निगम कर, पदोन्नति एवं अनुकंपा पर नियुक्त कर्मियों आदि बकायों के लिए 104.70 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।

Page (X)

(3) इसी प्रकार Schedule - A के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में वेतनादि, पेंशनादि, उपार्जित अवकाश नकदीकरण, नई पेंशन योजना (NPS) के अन्तर्गत नियोक्ता का अंशदान, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के शिक्षकों का वेतन बकाया, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के ग्रेड पे की बकाया राशि ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ वेतनांतर तथा अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकायों के भुगतान, Outsourcing के आधार पर नियुक्ति शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन तथा बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के ज्ञाप सं 15/एम–1–197/2014–1457 दिनांक 24.07.2015 के द्वारा सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिये जाने के कारण क्षति होने वाले राशि की भरपाई के लिए भी प्रस्तावित बजट में कुल रुपये 280.65 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

Page (v)

(4) •पुनः वित्तीय वर्ष 2020–21के Schedule - C के अन्तर्गत जनवरी 1996 से फरवरी 2015 के बीच सेवानिवृत हुए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के उपार्जित अवकाश– नकदीकरण की अंतर राशि तथा बी.सी.ई. के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशन के लिए कुल 4.72 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

Page (ix)

(5) वित्तीय वर्ष 2020–21 पटना विश्वविद्यालय द्वारा Internal Quality Assurance Cell (IQAC) NAAC के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के प्रशिक्षण, रिसर्च स्कॉलर हेतु अनुदान, विज्ञान लैब हेतु उपकरण क्रय, पुस्तकालय स्वचालन एवं प्रबंधन प्रणाली, वर्कशाप , सेमिनार, दिव्यांग छात्रों/ व्यक्तियों को मौलिक सुविधा, पुस्तक क्रय तथा इ–जर्नल इत्यादि हेतु 78.68 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

Page (5)

विश्वविद्यालय के Placement Cell को गति प्रदान करने हेतु इस बजट में 20.50 लाख राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के मौजुदा क्वार्टर की मरम्मती कार्य, तृतीय वर्गीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिये क्रमशः 120+120 कुल 240 क्वार्टर निर्माण कार्य, गोलखपुर के Boundary wall विश्वविद्यालय के मुख्यालय, पुस्तकालय एवं दरभंगा हाउस में Lift/ Escalator निमार्ण कार्य तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में E-Library /Cafeteria निमार्ण कार्य हेतु 53.49 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

Page (5-6)

(6) ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के पत्राांक एपफ0/08–01/201 दिनांक 28.01.2004 के आलोक में, बिहार सरकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर, पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बिहार अभियंत्राण महाविद्यालय को एन. आइ. टी. पटना का दर्जा प्रदान किया गया। परिणाम स्वरूप, दिनांक 29.01.2004 के पश्चात् तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (NIT) के कर्मियों के वेतनादि/पेंशनादि सहित अन्य सम्पूर्ण व्ययभार भारत सरकार वहन करती है । किन्तु

तत्कालीन बिहार अभियंत्राण महाविद्यालय के उत्क्रमण की तिथि दिनांक 29.01.2004 के पूर्व सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्तक लाभ एवं वेतनान्तर का दायित्व बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पर है। इन लोगों के सेवांतक लाभ एवं वेतनान्तर के मद में वित्तीय वर्ष, 2019–20 के पुनरीक्षित बजट में 3.54 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित बजट में 4.72 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधन किया गया है।

Schedule B- (Page viii)

(7) इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित बजट में आकस्मिक व्यय के मद में एथलेटिक व्यय, खेल–कूद, छात्र यूनियन चुनाव तथा सांसकृतिक कार्यक्रम क्रियाकलापों आदि का भी विशेष ध्यान रखा गया है ।

Page 8-9

(8) राज्य सरकार ने विभागीय पत्रांक 2085 दिनांक 09.12. 1999 के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 1998–99 के बजट अनुदान स्वीकृति के क्रम में यह व्यवस्था दी है कि आगे से विश्वविद्यालय अपने आन्तरिक स्त्रोतों की आय से ही अपने सभी प्रकार के आकस्मिक व्ययों (Contingent Expenses/Contingencies) की प्रति–पूर्ति करेगी।

उपरोक्त दिशानिदेश के आलोक में स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व–वित्तपोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के आन्तरिक स्रोतों के प्राप्त आय से उनके आकस्मिक व्ययों के लिए प्रस्तावित बजट 2020–21 में व्यय का प्रावधान किया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित बजट 2020–21 के Schedule-B के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों की राशि 32.44 करोड़ सहित कुल 164.81 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का

प्रावधान किया गया है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय को विभिन्न आंतरिक स्त्रोतों से कुल 27.12 करोड़ रूपये आय प्राप्ति का अनुमान है।

Page (i) A (vi)

(9) स्नातकोत्तर विभागों, कॉलेजों, संस्थानों एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनेक स्ववित्तपोषित/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational/ Self Financed Courses) चलाए जा रहे हैं जिनपर वित्तीय वर्ष 2018–19 में वास्तविक व्यय 10.08 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2019–20 पुनरीक्षित में व्यय पर रूपये 13.36 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में रूपये 10.52 करोड़ व्यय के प्रस्ताव के विरूद्ध वर्ष 2018–19 में वास्तविक आय रूपये 12.60 करोड़, वित्तीय वर्ष 2019–20 पुनरीक्षित में रूपये 16.70 करोड़ आय तथा वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित बजट में रूपये 13.27 करोड़ आय प्राप्त होने की संभावना है । इसे प्रस्तुत बजट के अन्दर अलग से दर्शाया गया है।

इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन–व्यय के पश्चात् शेष राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों, विकास कार्यों एवं लम्बित व्ययों आदि पर किया जाता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आए दिन परम्परागत पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों की रूझान में कमी आई है। माननीय सदस्यों को इस समस्या के समाधान पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

खण्ड–II अनावर्त्तक/पूँजी एवं विकास मद (Non-recurring/Capital and Development):

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समय–समय पर पंचवर्षीय योजनाओं तथा विशेष अनुदान के साथ–साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार

से विकास सम्बन्धी प्राप्त अनुदानों के आय–व्यय का उल्लेख प्रस्तुत बजट के खण्ड–II अनावर्तक / पूंजी एवं विकास मद (Non-recurring /Capital and Development) शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त यू.जी.सी. एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त विविध शोध–परियोजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान के आय–व्यय का व्यौरा भी इसी खण्ड में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020–21 में नये विकास कार्यों का प्रस्ताव एवं राज्य सरकार के विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव भी इसी खण्ड में प्रस्तावित है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:–

(A) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से XII पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राशि 12.53 करोड़ रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014–15 तक विश्वविद्यालय को General Development Assistance Scheme के तहत् कुल रूपये 5.01 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था साथ ही इस बजट में Renovation of Building and Campus Development के मद में 50.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

Page 135

(B) XII पंचवर्षीय योजना Merged Scheme के तहत इस बजट में Conferences/ Seminars/ Symposia/Workshops के लिए 50 लाख एवं Travel Grant for Attending National and International Seminar /Workshop के लिए 50 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।

Page 135

(C) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित Research Promotion के लिये वित्तीय वर्ष 2020–21 में 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

Page 135

(D) विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष के बजट में Publication of Books & Journal के मद में 50 लाख एवं Books & Journal purchase हेतु 50 लाख प्रावधान किया गया है ।

Page 135

(E) शिक्षा विभाग के पत्रांक 1906 दिनांक 23.10.2013 के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत संस्थागत विकास के लिए पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए कुल 1516.845 करोड़ अर्थात् 303.369 करोड़ वार्षिक योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया।

Page 138 -155

तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर Outsourcing द्वारा नियुक्त करने का प्रस्ताव है । इसके लिए पाँच वर्षों के लिए कुल 51.10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है । साथ ही पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि हेतु स्वीकृत तकनीकी पदों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता तथा मानदण्डों के अनुरूप भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार के आर्थिक अनुमोदन के पश्चात् प्रयास आरंभ की जायेगी ताकि प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थिति सुदृढ़ हो सके । इसका निर्णय अभिषद् ने लिया है।

(F) वित्त समिति की दिनांक 19.01.2016 एवं अभिषद् की दिनांक 25.02.2016 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया था :–

स्नातकोत्तर विभागों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने का लक्ष्य है। यह बहुमंजिला इमारत कमसे कम दस मंजिल या उससे अधिक का होगा, जिसमें तीन खण्ड होंगे। इसमें साइंस ब्लॉक, मानविकी ब्लॉक एवं समाज विज्ञान ब्लॉक स्थापित किये जायेंगे। यह इमारत अत्याधुनिक सुविधा के साथ, विशेषज्ञों, वास्तुविदों और विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुपालन करते हुए बनाई जायेगी । इसपर लगभग 200 करोड़ रुपये अनुमानित व्यय होने का प्रस्ताव है। इसका विस्तारित प्रारूप विश्वविद्यालय अभियंता शीघ्र तैयार करें, ऐसा निर्देश दिया गया था।

यह भी निर्णय लिया गया कि राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव को यू॰ जी॰ सी॰ एवं राज्य सरकार या अनुदान ऐजेन्सियों को भेजा जाय ।

(G) वर्ष 2018 में कुल 13 नये विभागों क्रमशः Department of Music, Department of Management, Department of Environmental Science, Department of Social Work, Department of Bio-Technology, Department of Computer Science, Department of Energy Studies, Department of Statistics, Department of Women's Studies, Department of Electronic Science & Technology, Department of Journalism & Mass Communication, Centre for Buddhist Studies & Research and Institute of Foreign Language के पाठ्क्रम को विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद एवं अभिषद में पारित होने के उपरांत राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है ।

(H) प्रधान महालेखाकार बिहार, पटना के अंकेक्षक दल द्वारा पटना विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2016–17 तक का अंकेक्षण सम्पादित किया जा चुका है।

(I) आंतरिक अंकेक्षक मेसर्स राजीव आर०, मिश्रा एण्ड चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, पटना द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों का आन्तरिक अंकेक्षण कराया जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 का वार्षिक आय–व्यय, वर्ष 2019–20 का पुनरीक्षित आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 का प्रस्तावित आय–व्ययक प्राक्कलन सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

धन्यवाद।

पटना ।

दिनांक : 14–11–2019